

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बाबू लाल

बनाम

सरकार

(2023/140)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा वन्दोलेन / कार्य स्थगित करने के कारण पत्रावली नहीं जा सकती। पत्रावली दिनांक 13/2/25 को पेश हो</p>	
3/2/25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौर / वस्तु रहने के कारण कार्य जा सकती। पत्रावली दिनांक 18/2/25 को</p>	
8/03/25	<p>पत्रावली पेश। वकील प्राची उपस्थित प्रकरण में बहल सुनी गई। वादते आदेश पत्रावली दिनांक 24/03/25 को पेश हो।                      उपखण्ड अधिकारी                      बस्सी जिला-जयपुर</p>	
24/03/25	<p>पत्रावली पेश। वकील प्राची उपस्थित पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आवलोकन पश्चात प्रा. फा. प्राची स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निवेदन पृथक से लिखाया जाकर शामिल मित्राल है। पत्रावली-नम्बर ले कर होकर दायित्व दफ्तर है।                      उपखण्ड अधिकारी                      बस्सी जिला-जयपुर</p>	